संख्याः 8/2021/**1040/49-3-2021-100(8)/2020**

प्रेषक,

संदीप कौर,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
सहकारी न्यायाधिकरण, उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 04 मई, 2021

विषयः वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-18 के अधीन मुख्य लेखाशीर्षक-2425, सहकारिता, 001-निदेशन तथा प्रशासन-04-उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत न्यायाधिकरण का गठन के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशियों के व्यय की अनुमति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-560/सह0न्या0/बजट, दिनांक 26 मार्च, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु अनुदान संख्या-18 के अधीन लेखाशीर्षक 2425-सहकारिता, 001-निदेशन तथा प्रशासन-04-उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत न्यायाधिकरण का गठन में मदवार प्राविधानित धनराशि रू0 174.03 लाख(रूपये एक करोड़ चौहत्तर लाख तीन हजार मात्र) को मा0 राज्यपाल वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में निहित प्राविधानों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत निम्नलिखि शर्तों के अधीन संलग्न विवरण के अनुसार आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिनके लिए स्वीकृति प्रदान की जा रही है तथा सक्षम प्राधिकारी/शासन की स्वीकृति के बिना उसे अन्य मदों पर कदापि व्यय नहीं किया जायेगा।

(2) इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा व्यय के स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, ऐसे मामलों में व्यय करने की पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) विभिन्न योजनाओं और सेवाओं की वित्तीय स्वीकृतियां यथा सम्भव एक बार में ही जारी की जाय, परंतु स्वीकृति धनराशि के एकमुश्त आहरण की यथासंभव अनुमति न दी जाय।

(4) शासनादेश कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रदत्त निर्देशों का कड़ाई पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

.....2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/ मुख्य/वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी (जैसी भी स्थिति हो) द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तों का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि वह सम्पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध करायें।

(6) आवंटन के सापेक्ष व्यय विवरण की मासिक सूचनायें वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी समय से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(7) बजट मैनुअल प्रस्तर-94 की प्रक्रिया एकमुश्त प्राविधान के मामलों में अपनायी जाय।

(8) मित्तव्ययिता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-18 के लेखाशीर्षक 2425-सहकारिता, 001-निदेशन तथा प्रशासन-04-उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत न्यायाधिकरण का गठन के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

उपरोक्त आदेश भौतिक रूप से 1040/49-3-2021-100(11)/2020 दिनांक 04 मई, 2021 द्वारा निर्गत की जा चुकी है। अतः इसे यथावत पढ़ा जाय।

भवदीया

संदीप कौर
विशेष सचिव।

संख्या- 8/2021/1040(1)/49-3-2021-100(11)/2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा -परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ।
5- वेब मास्टर, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
8- सहकारिता अनुभाग-1
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

संदीप कौर
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनोदश संख्या-8/2021/1040/49-3-2021-100(11)/2020, दिनांक 04 मई, 2021 का संलग्नक-

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्षक	स्वीकृत हेतु धनराशि 2021-22
1	2
2425-सहकारिता	
001-निदेशन एवं प्रशासन	
04- उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत न्यायाधिकरण का गठन	
01- वेतन	106.00
03- मँहगाई भत्ता	31.00
04-यात्रा भत्ता	0.30
06- अन्य भत्ते	0.65
08- कार्यालय व्यय	1.00
09- विद्युत देय	0.18
11- लेखन समाग्री और फार्मों की छपाई	0.50
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.00
13- टेलीफोन व्यय	1.00
15- गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2.00
17-किराया-उप शुल्क एवं कर- स्वामित्व	2.93
38- अन्तरिम सहायता	5.00
45- अवकाश यात्रा सुविधा	0.25
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण /तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0.75
49-चिकित्सा व्यय	4.00
51-वर्दी -व्यय	0.10
55- मकान किराया भत्ता	12.57
58- आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	4.00
कुल योग	**174.03**

संदीप कौर
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।